विष्णु कान्ता बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/503
प्रकरण संख्या 153/2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 153/2023
जीसीएमएस न0 2023/503

1. विष्णुकान्ता पिता मोहन लाल महाजन निवासी कनेरा हा0मु0 नाथद्वारा(राज)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निम्बाहेडा

.......विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थित :– 1– प्रार्थिया स्वयं
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अप्रार्थिया

:: निर्णय ::

दिनांक 06.10.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया कि राजस्व ग्राम कनेरा, पटवार हल्का कनेरा, तहसील –निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 542 की कृषि आराजी नम्बर 1333 मीन रकबा 0.100 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 1334 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1348 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 1354 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

2. प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया विष्णुकान्ता पिता श्री मोहन लाल जी, जाति महाजन, निवासी कनेरा हा०मु० नाथद्वारा कि होकर निवेदन है कि ग्राम कनेरा पटवार हल्का कनेरा में खाता संख्या 542 में मेरा नाम कान्ता देवी 1/9 व विष्णु बाई 1/9 दर्ज हैं जो कि गलत है कान्ता देवी व विष्णु बाई एक महिला है जो कि विष्णुकान्ता मै स्वयं हुं राजस्व रिकार्ड कि गलती के कारण मेरा नाम विष्णुकान्ता के बजाय कान्ता देवी व विष्णु बाई दर्ज हो गया है जिस से मै एक खातेदार होने के बावजूद दो खातेदार दर्ज हो चुके है पुरानी जमाबंदी में मेरा नाम विष्णुकान्ता ही दर्ज है जबकि नये रोटेशन में मेरा नाम कान्ता देवी व विष्णु बाई दर्ज हो गया हैं। कान्ताबाई व विष्णु बाई के बजाय विष्णुकान्ता नाम दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्र[illegible] में तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने प[illegible]ल पत्रावली की गई। प्रार्थिया की बहस सुनी गई। दौरा[illegible] अंकित तथ्यों [illegible]त्र दोहराते हुए मौजा कनेरा [illegible] 77–80 के खाता संख्या 542 में विष्णुबाई पुत्री मोहनलाल महाजन के स्थान पर विष्णुकान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन दर्ज करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्रांक:राजस्व/2023/1599 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया कि ग्राम कनेरा पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

मौजा कनेरा के खाता संख्या 542 जमाबन्दी वर्ष 2077–80 में दर्ज नाम कान्तादेवी पुत्री मोहनलाल एवं विष्णुबाई पुत्री मोहनलाल महाजन दर्ज रिकार्ड है। इसकी जांच नामान्तरकरण संख्या एवं रिकार्ड से की गई। मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 3536 सहमति विभाजन में खातेदार का नाम विष्णुकान्ता दर्ज हुआ, जो जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2057–60 के खाता संख्या 607 में विष्णुकान्ता पुत्री मोहनलाल के नाम दर्ज हुआ, जो जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2069–2072 में विष्णुबाई पुत्री मोहनलाल व कान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन दो खातेदार दर्ज हो गये, जो वर्तमान जमाबन्दी वर्ष 2077–80 के खाता संख्या 542 में विष्णुबाई पुत्री मोहनलाल महाजन एवं कान्तादेवी पुत्री मोहनलाल महाजन दर्ज है। उपरोक्त खातेदार दो नही होकर एक ही विष्णुकान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन है। विष्णुकान्ता के दो नाम सहवन से विष्णुदेवी एवं कान्तादेवी दर्ज हुआ है, जिसे विष्णुकान्ता पुत्री मोहनलाल दर्ज किया जाने का निवेदन किया।

4. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि में प्रार्थीया का जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2069–2072 में विष्णुबाई पुत्री मोहनलाल व कान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन दो खातेदार दर्ज हो गये, व उपरोक्त खातेदार दो नही होकर एक ही विष्णुकान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन है। विष्णुकान्ता के दो नाम सहवन से विष्णुदेवी एवं कान्तादेवी दर्ज हुआ है, जिसे विष्णुकान्ता पुत्री मोहनलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर पुनः शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से रिकार्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने का [illegible] प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

7. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रार्थीया का जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2069–2072 में विष्णुबाई पुत्री मोहनलाल व कान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन दो खातेदार दर्ज हो गये, व उपरोक्त खातेदार दो नही होकर एक ही विष्णुकान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन है जो वर्तमान जमाबन्दी वर्ष 2077–80 के खाता संख्या 542 में विष्णुबाई पुत्री मोहनलाल महाजन एवं कान्तादेवी पुत्री मोहनलाल महाजन वर्तमान तक चला आ रहा है जो प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज, सरपंच, ग्राम पंचायत कनेरा तहसील निम्बाहेडा का प्रमाण पत्र,शपथ पत्र,पेन कार्ड की प्रति,नामान्तरकरण की प्रति ,मिलान क्षेत्रफल की प्रति, जमाबन्दी सम्वत् 2057–60 ग्राम कनेरा की प्रति पेश की जिसमे प्रार्थिया या विष्णुबाई पुत्री मोहनलाल व कान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन दो खातेदार दर्ज के बजाय एक ही विष्णुकान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन होना प्रमाणित होता है।

आदेश

8. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि संवत् 2077–80 मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 542 की आराजी नम्बर 1333 मीन रकबा 0.100 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 1334 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1348 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 1354 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि के रेकार्ड में संशोधन करते हुए खातेदार विष्णुबाई पुत्री मोहनलाल व कान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन दो खातेदार के बजाय विष्णुकान्ता पुत्री मोहनलाल महाजन के नाम दर्ज करने तथा सभी खातेदारो का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में 1/8–1/8 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

9. निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफतर हो।

6/10/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested